न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग), पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री राधेश्याम (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्याः– 5/2019

प्रार्थीगणः–

1. विजय कुमार पुत्र गोतीलाल, जाति ओसवाल जैन, उम्र 66 वर्ष, निवासी जैतारण, तहसील जैतारण, जिला पाली राजस्थान हाल पता 2/15 गोतीमणी सांकेतनगर, हाऊसिंग बोर्ड व्यावर, जिला अजमेर (राज.)
2. इन्दरचन्द पुत्र देवाराम, जाति ओसवाल छाजेड़, निवासी जैतारण, तहसील जैतारण, जिला पाली हाल पता 6 Sami Pillai Street Choolai Chennai (Tamilnadu)

बनाम

अप्रार्थी

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण जिला पाली राजस्थान

उपस्थितिः–

1. श्री श्याम पंचारिया, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री सुरेन्द्र सिंह लाबाना, राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी ।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 144 व्यवहार प्रक्रिया संहिता

–:निर्णयः– दिनांक 8.4.2021

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सोमावास की सरहद में खसरा नंबर 80 मिन की कृषि भूमि रकबा 180 बीघा 4 बिस्वा 1/6, देवराज पुत्र पुखराज जाति ओसवाल छाजेड़ हिस्सा 1/6, सुमेरमल पुत्र पारसमल, सुरेन्द्रमल पुत्र चान्दमल मेहता, हिस्सा 1/3 मोहनलाल पिसरान देवराज जाति ओसवाल छाजेड़ हिस्सा 1/6, विजय कुमार पुत्र मोतीलाल हिस्सा 1/6 कोम महाजन साकीन जैतारण की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि हुई है। उक्त भूमि के संबंध में एक सिलिंग मुकदमा अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय सिलिंग पाली के न्यायालय में मुकदमा संख्या 326/94 दर्ज हुआ है, जिसमें निर्णय दिनांक 25.07.1996 को पारित किया गया। उक्त निर्णय की पालना में प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नं. 80 मिन की भूमि सिलिंग न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अंतर्गत सिवाय चक दर्ज कर दी गई। उक्त निर्णय दिनांक 25.07.1996 के विरूद्ध एस.एस.सी. विजयमल के वारिसान के द्वारा माननीय राजस्व अजमेर में अपल प्रस्तुत की गई जिसमें माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पुनः उक्त प्रकरण की सुनवाई हेतु पत्रावली श्रीमान् न्यायालय को प्रेषित की गई। उक्त प्रकरण 145/2006 दर्ज होकर श्रीमानजी द्वारा पुनः 20.07.2007 को विस्तृत निर्णय पारित कर एस.एस.सी. विजयमल के पास सिलिंग योग्य भूमि नहीं होने से तहसीलदार जैतारण का प्रकरण खारिज कर दिया गया। श्रीमान न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.07.2007 के विरूद्ध तहसीलदार जैतारण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में सिलिंग अपील संख्या 8589/2007/पाली दर्ज कराई गई जिसमें माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 05.07.2017 पारित किया। जिसमें माननीय न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.07.2007 यथावत रहा। उक्त दोनों निर्णय आज भी प्रभावी है। जिसके विरूद्ध कोई भी अपील माननीय उच्च न्यायालय में पेश नहीं की गई है। पूर्व में सिलिंग प्रकरण संख्या 326/1994 में पारित निर्णय दिनांक 25.07.1996 के अंतर्गत प्रार्थी की भूमि को सिवाय चक दर्ज कर दी गई। जबकि प्रार्थी

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

खातेदार उक्त भूमि का बोनोफाइड पर्चेजर है। जिसके खातेदारी दस्तावेज को माननीय न्यायालय द्वारा व माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा यथावत माना गया। इस कारण प्रार्थी की दर्ज सिवाय चक भूमि का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड से हटाया जाकर पुनः प्रार्थी के नाम दर्ज की जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है तथा श्रीमान न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.07.2007 व माननीय राजस्व मण्डल के पारित निर्णय दिनांक 05.07.2017 की पालना में भी उक्त नामान्तरण संख्या 150 की प्रविष्टि प्रथमदृष्टया विधि शुन्य प्रविष्ठि है। इस कारण भी प्रार्थी की खातेदारी भूमि को पुनः प्रार्थी के नाम दर्ज किया जावें। प्रार्थी ने श्रीमान न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.07.2007 व माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 05.07.2017 की पालना करते हुए तहसीलदार जैतारण को प्रार्थी की खातेदारी भूमि जो नामान्तरण संख्या 150 के जरिये सिवाय चक दर्ज की गई उससे पुनः दर्ज कराने हेतु तहसीलदार जैतारण को लिखित में आवेदन दिनाक 05.12.2019 को पेश किया था। जिन्होंने कोई कार्यवाही नही करने पर यह प्रार्थना पत्र निम्न आधारो पर पेश किया है– अधिनस्थ तहसीलदार जैतारण का जो राज्य सरकार की ओर से नियुक्त भूमिधारी तहसीलदार है जो राजस्व नियमो के अंतर्गत प्रदर्श शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधि सम्मत कार्यवाही करने हेतु अधिकृत है। पूर्व में तहसीलदार जैतारण द्वारा ग्राम सोमावास के 01.01.1966 को काबिज खातेदार श्री दौलतमल पुत्र गणेशमल के कायम मुकाम विजयमल वगैरह के विरूद्ध सिलिंग प्रकरण प्रस्तुत किया। उक्त सिलिंग प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रकरण खारिज कर दियें जाने पर राज्य सरकार द्वारा दिनांक 05.11.1987 को रिऑपन किये जाने पर पुनः प्रकरण संख्या 326/1994 श्रीमान न्यायालय में दर्ज होकर पुनः निर्णय दिनांक 25.07.1996 को पारित किया। जिसमें एस.एस.सी.के विरूद्ध उसकी 30 स्टेण्र्ड एकड भूमि को छोड़कर वाकी भूमि को अधिग्रहण करने आदेश पारित किया। जिस निर्णय के अंतगत प्रार्थी की खरीदसुदा खातेदारी भूमि खसरा नंबर 80 मिन की भूमि को भी सिवाय चक दर्ज कर दी गई। श्रीमान के निर्णय दिनांक 25.07.1996 के विरूद्ध एस.एस.सी. दौलतमल के वारिसान द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील प्रस्तुत की गई। जो अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा स्वीकार की जाकर पुनः श्रीमान न्यायालय को सुनवाई हेतु प्रेषित की गई। जिस पर प्रकरण संख्या 145/2006 दर्ज होकर दिनांक 20.07.2007 को विस्तृत निर्णय श्रीमान न्यायालय द्वारा पारित कर स्वर्गीय दौलतमल के 1857 बीघा 18 विस्वा भूमि यानि 327 स्टैण्र्ड एकड भूमि हस्तांतरण की उक्त हस्तांतरण दस्तावेज जो सन् 1963 से 31.12.1969 तक होने से उन्हें गैर दस्तावेज माना गया तथा सभी भूमि के विक्रय पत्र गैर दस्तावेज मानते हुए तहसीलदार जैतारण के सिलिंग प्रकरण को उक्त प्रकरण में वर्णित समस्त भूमि अधिग्रहण योग्य नहीं होने से प्रकरण को खारिज करते हुए विस्तृत निर्णय पारित किया। उक्त निर्णय के विरूद्ध तहसीलदार जैतारण द्वारा सिलिंग अपील संख्या 8589/2007 माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की गई। जिसमें निर्णय दिनांक 05.07.2017 पारित करते हुए श्रीमान न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा गया। इस प्रकार पूर्व में पारित निर्णय की प्रार्थी की खातेदारी भूमि सिवाय चक दर्ज कर दी गई जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि अधिग्रहण योग्य भूमि नहीं होने से एवं माननीय न्यायालय द्वारा एवं रेवेन्यू बोर्ड द्वारा प्रार्थी की खातेदारी भूमि को अधिग्रहण योग्य भूमि नहीं माना। इस कारण प्रार्थी की दर्ज खातेदारी भूमि खसरा नंबर 80 मिन रकवा 180 बीघा 4 विस्वा वारानी दोयम सिवाय चक भूमि को पुनः प्रार्थी खातेदार के नाम दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है तथा माननीय न्यायालय व राजस्व मण्डल के पारित निर्णय के अंतर्गत भी पालना की जाना आवश्यक है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 80 मिन रकवा 180 बीघा 4 विस्वा वारानी दोयम भूमि जो श्रीमान जी के निर्णय दिनांक 25.07.1996 की पालना में तहसीलदार जैतारण द्वारा दर्ज की गई सिवाय चक भूमि को श्रीमान न्यायालय के आदेश दिनांक 20.07.2007 व माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 05.07.2017 की पालना में पुनः प्रार्थी खातेदार के नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है। इस हेतु यह प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय में उक्त दोनों निर्णय की पालना कराने हेतु पेश है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम सोमावास तहसील जैतारण के खसरा नंबर 80 मिन रकवा 180 बीघा 4 विस्वा वारानी दोयम भूमि को श्रीमान जी के निर्णय दिनांक 25.07.1996 की पालना में नामान्तरण संख्या 150 दिनांक 02.08.1996 को तहसीलदार, जैतारण द्वारा पारित कर निर्णयाधीन दर्ज की गई। उक्त निर्णय दिनांक

(सोलंग)
पक्षी (राज)

25.07.1996 को श्रीमान न्यायालय द्वारा दिनांक 20.07.2007 को निरस्त कर दिया तथा एस.एस.सी दौलतमल वगैरह की भूमि को अधिग्रहण योग्य भूमि नहीं मानी गई तथा तहसीलदार जैतारण द्वारा माननीय मण्डल अजमेर में एस.एस.सी. के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई जो अपील दिनांक 05.07.2017 को खारिज कर दी गई। इस कारण निर्णय दिनांक 20.07.2007 व निर्णय दिनांक 05.07.2017 की पालना कराते हुए एवं प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत ऐसे निर्णयों की पालना कराते हुए प्रार्थी की दर्ज खातेदारी भूमि के सिवाय चक दर्ज इन्द्राज को हटाया जाकर उन्हें प्रार्थी खातेदार के नाम प्रत्यारथापित यानि रेस्टीट्यूशन किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें। अतः प्रार्थी की खातेदारी मालिकाना कृषि भूमि ग्राम सोमावास तहसील जैतारण के खसरा नंबर 80 मिन रकबा 180 बीघा 4 बिस्वा बारानी दोयम भूमि को श्रीमान न्यायालय के सिलिंग प्रकरण संख्या 326/1994 में पारित निर्णय दिनांक 25.07.1996 की पालना में तहसीलदार जैतारण द्वारा नामान्तरण संख्या 150 दिनांक 02.08.1996 दर्ज कर प्रार्थी की भूमि को सिवाय चक दर्ज की। उक्त निर्णय दिनांक 25.07.1996 जो श्रीमान न्यायालय द्वारा सिलिंग प्रकरण संख्या 145/2006 में पारित निर्णय दिनांक 20.07.2007 व राजस्व मण्डल अजमेर में पेश की सिलिंग निर्णय दिनांक 20.07.2007 व राजस्व मण्डल अजमेर में पेश की सिलिंग अपील संख्या 8589/2007/पाली में पारित निर्णय दिनांक 05.07.2017 के अंतर्गत पूर्व निर्णय 25.07.1996 निरस्त एवं निस्प्रभावी होने से एवं एस.एस.सी की भूमि सिलिंग योग्य अधिग्रहण किये जाने योग्य नहीं होने से एवं राज्य सरकार की अपील दिनांक 05.07.2017 को खारिज होने से क्त निर्णयों की पालना श्रीमान द्वारा कराते हुए प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम सोमावास तहसील जैतारण के खसरा नंबर 80 मिन रकबा 180 बीघा 4 बिस्वा बारानी दोयम की भूमि को प्रार्थी के नाम पुनः प्रत्यारथापित किये जाने का तत्काल आदेश करावें।

2. प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

3. विद्वान अभिभापक अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र का जवाव प्रस्तुत नही कर सीधे बहस हेतू निवेदन किया गया।

4. जिस पर बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

5. बहस के द्वौरान प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपने आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम सोमावास की सरहद में खसरा नंबर 80 मिन की कृषि भूमि रकबा 180 बीघा 4 बिस्वा 1/6, देवराज पुत्र पुखराज जाति ओसवाल छाजेड़ हिस्सा 1/6, सुमेरमल पुत्र पारसमल, सुरेन्द्रमल पुत्र चान्दमल मेहता, हिस्सा 1/3 मोहनलाल पिसरान देवराज जाति ओसवाल छाजेड़ हिस्सा 1/6, विजय कुमार पुत्र मोतीलाल हिस्सा 1/6 कोम महाजन साकीन जैतारण की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि हुई है। उक्त भूमि के संबंध में एक सिलिंग मुकदमा अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय सिलिंग पाली के न्यायालय में मुकदमा संख्या 326/94 दर्ज हुआ है, जिसमें निर्णय दिनांक 25.07.1996 को पारित किया गया। उक्त निर्णय की पालना में प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 80 मिन की भूमि सिलिंग न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अंतर्गत सिवाय चक दर्ज कर दी गई। उक्त निर्णय दिनांक 25.07.1996 के विरूद्ध एस.एस.सी. विजयमल के वारिसान के द्वारा माननीय राजस्व अजमेर में अपील प्रस्तुत की गई जिसमें माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पुनः उक्त प्रकरण की सुनवाई हेतु पत्रावली श्रीमान् न्यायालय को प्रेषित की गई। उक्त प्रकरण 145/2006 दर्ज होकर श्रीमानजी द्वारा पुनः 20.07.2007 को विस्तृत निर्णय पारित कर एस.एस.सी. विजयमल के पास सिलिंग योग्य भूमि नहीं होने से तहसीलदार जैतारण का प्रकरण खारिज कर दिया गया। श्रीमान न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.07.2007 के विरूद्ध तहसीलदार जैतारण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में सिलिंग अपील संख्या 8589/2007/पाली दर्ज कराई गई जिसमें माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 05.07.2017 पारित किया। जिसमें माननीय न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.07.2007 यथावत रहा। उक्त दोनों निर्णय आज भी प्रभावी है। जिसके विरूद्ध कोई भी अपील माननीय उच्च न्यायालय में पेश नहीं की गई है। पूर्व में सिलिंग

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

प्रकरण संख्या 326/1994 में पारित निर्णय दिनांक 25.07.1996 के अंतर्गत प्रार्थी की भूमि को सिवाय चक दर्ज कर दी गई। जवकि प्रार्थी खातेदार उक्त भूगि का वोनोफाइट पर्चेजर है। जिसके खातेदारी दस्तावेज को माननीय न्यायालय द्वारा व माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा यथावत माना गया। इस कारण प्रार्थी की दर्ज सिवाय चक भूमि का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड से हटाया जाकर पुनः प्रार्थी के नाम दर्ज की जाना है तथा श्रीगान न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.07.2007 व माननीय राजस्व मण्डल के पारित निर्णय दिनांक 05.07.2017 की पालना में भी उक्त नामान्तरण संख्या 150 की प्रविष्टि प्रथमदृष्टया विधि शुन्य प्रविष्ठि है। इस कारण भी प्रार्थी की खातेदारी भूमि को पुनः प्रार्थी के नाम दर्ज किया जावें। प्रार्थी ने श्रीमान न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.07.2007 व माननीय राजस्व मण्डल अजगेर के निर्णय दिनांक 05.07.2017 की पालना करते हुए तहसीलदार जैतारण को प्रार्थी की खातेदारी भूमि जो नामान्तरण संख्या 150 के जरिये सिवाय चक दर्ज की गई उससे पुनः दर्ज कराने हेतु तहसीलदार जैतारण को लिखित में आवेदन दिनाक 05.12.2019 को पेश किया था। जिन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अधिनस्थ तहसीलदार जैतारण का जो राज्य सरकार की ओर से नियुक्त भूमिधारी तहसीलदार है जो राजस्व नियमों के अंतर्गत प्रदर्श शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधि सम्मत कार्यवाही करने हेतु अधिकृत है। पूर्व में तहसीलदार जैतारण द्वारा ग्राम सोमावास के 01.01.1966 को काविज खातेदार श्री दौलतमल पुत्र गणेशमल के कायम मुकाम विजयमल वगैरह के विरूद्ध सिलिंग प्रकरण प्रस्तुत किया। उक्त सिलिंग प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रकरण खारिज कर दिये जाने पर राज्य सरकार द्वारा दिनांक 05.11.1987 को रिऑपन किये जाने पर पुनः प्रकरण संख्या 326/1994 श्रीमान न्यायालय में दर्ज होकर पुनः निर्णय दिनांक 25.07.1996 को पारित किया। जिसमें एस.एस.सी.के विरूद्ध उसकी 30 स्टेण्र्ड एकड भूमि को छोड़कर बाकी भूमि को अधिग्रहण करने आदेश पारित किया। जिस निर्णय के अंतगत प्रार्थी की खरीदसुदा खातेदारी भूमि खसरा नंबर 80 मिन की भूमि को भी सिवाय चक दर्ज कर दी गई। श्रीमान के निर्णय दिनांक 25.07.1996 के विरूद्ध एस.एस.सी. दौलतमल के वारिसान द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील प्ररतुत की गई। जो अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा स्वीकार की जाकर पुनः श्रीमान न्यायालय को सुनवाई हेतु प्रेषित की गई। जिस पर प्रकरण संख्या 145/2006 दर्ज होकर दिनांक 20.07.2007 को विरतृत निर्णय श्रीमान न्यायालय द्वारा पारित कर स्वर्गीय दौलतमल के 1857 बीघा 18 बिस्वा भूमि यानि 327 स्टैण्र्ड एकड़ भूमि हस्तांतरण की उक्त हस्तांतरण दस्तावेज जो सन् 1963 से 31.12.1969 तक होने से उन्हें गैर दस्तावेज माना गया तथा सभी भूमि के विक्रय पत्र गैर दस्तावेज मानते हुए तहसीलदार जैतारण के सिलिंग प्रकरण को उक्त प्रकरण में वर्णित समस्त भूमि अधिग्रहण योग्य नहीं होने से प्रकरण को खारिज करते हुए विस्तृत निर्णय पारित किया। उक्त निर्णय के विरूद्ध तहसीलदार जैतारण द्वारा सिलिंग अपील संख्या 8589/2007 माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की गई। जिसमें निर्णय दिनांक 05.07.2017 पारित करते हुए श्रीमान न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा गया। इस प्रकार पूर्व में पारित निर्णय की प्रार्थी की खातेदारी भूमि सिवाय चक दर्ज कर दी गई जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि अधिग्रहण योग्य भूमि नहीं होने से एवं माननीय न्यायालय द्वारा एवं रेवेन्यू बोर्ड द्वारा प्रार्थी की खातेदारी भूमि को अधिग्रहण योग्य भूमि नहीं माना। इस कारण प्रार्थी की दर्ज खातेदारी भूमि खसरा नंबर 80 मिन रकबा 180 बीघा 4 बिस्वा बारानी दोयम सिवाय चक भूमि को पुनः प्रार्थी खातेदार के नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है तथा माननीय न्यायालय व राजस्व मण्डल के पारित निर्णय के अंतर्गत भी पालना की जाना आवश्यक है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 80 मिन रकबा 180 बीघा 4 बिस्वा बारानी दोयम भूमि जो श्रीमान जी के निर्णय दिनांक 25.07.1996 की पालना में तहसीलदार जैतारण द्वारा दर्ज की गई सिवाय चक भूमि को श्रीमान न्यायालय के आदेश दिनांक 20.07.2007 व माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 05.07.2017 की पालना में पुनः प्रार्थी खातेदार के नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है। इस हेतु यह प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय में उक्त दोनों निर्णय की पालना कराने हेतु पेश है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम सोमावास तहसील जैतारण के खसरा नंबर 80 मिन रकबा 180 बीघा 4 बिस्वा बारानी दोयम भूमि को श्रीमान जी के निर्णय दिनांक 25.07.1996 की पालना में नामान्तरण संख्या 150 दिनांक 02.08.1996 को तहसीलदार, जैतारण द्वारा पारित कर

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

निर्णयाधीन दर्ज की गई। उक्त निर्णय दिनांक 25.07.1996 को श्रीमान न्यायालय द्वारा दिनांक 20.07.2007 को निरस्त कर दिया तथा एस.एस.सी दौलतमल वगैरह की भूमि को अधिग्रहण योग्य भूमि नही मानी गई तथा तहसीलदार जैतारण द्वारा माननीय मण्डल अजमेर में एस.एस.सी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई जो अपील दिनांक 05.07.2017 को खारिज कर दी गई। इस कारण निर्णय दिनांक 20.07.2007 व निर्णय दिनांक 05.07.2017 की पालना कराते हुए एवं प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत ऐसे निर्णयों की पालना कराते हुए प्रार्थी की दर्ज खातेदारी भूमि के सिवाय चक दर्ज इन्द्राज को हटाया जाकर उन्हें प्रार्थी खातेदार के नाम प्रत्यास्थापित यानि रेस्टीटयूशन किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने अपने बहस में जाहिर किया कि प्रार्थीगण उपरोक्त सीलिंग कार्यवाही में पक्षकार नही है। विधिक रूप से वही व्यक्ति आवेदन कर सकता है, जो उपरोक्त सीलिंग कार्यवाही के प्रकरणों में पक्षकार रहा है। इस कारण से आवेदन विधिक रूप से पोषणीय नहीं है। प्रार्थी द्वारा जिस विक्रय पत्र के आधार पर भूमि खरीद करना बताया जा रहा है। उक्त विक्रय पत्र को विधिक रूप से मान्यता दिये जाने के संबंध मे कोई दस्तावेज पेश नहीं किये, इसलिए आवेदन खारिज योग्य है।

7. दोनो पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरोक्त प्रकरण में वर्णित सीलिंग कार्यवाही सरकार और दौलतमल के बीच में चली थी, जिसमें अलग अलग समय से अलग अलग निर्णय पारित किये गये। उपरोक्त सिलिंग कार्यवाही में उक्त प्रकरण में वर्णित विक्रय पत्र को मान्यता दी गई हो, ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थी की ओर से पत्रावली में पेश नहीं किया गया है, साथ ही उपरोक्त सिलिंग कार्यवाही में प्रार्थी किसी भी न्यायालय में पक्षकार नहीं रहे हैं। विधिक रूप से धारा 144 के तहत् आवेदन वही व्यक्ति कर सकता है, जो उस कार्यवाही एवं मुकदमें में पक्षकार रहा हो। इस कारण से उपरोक्त प्रार्थी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है और आवेदन खारिज योग्य हैं।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 144 सीपीसी खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हस्ताक्षर)

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

यह निर्णय आज दिनांक 8.4.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर वाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)